

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या: 100/2017/3602/दो-2-2017-22(88)/85
लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2017
कार्यालय ज्ञाप

राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-175/2015/4448/दो-2-2015-22(88)/85 दिनांक 30-10-2015 द्वारा विशेष कार्याधिकारी का एक निःसंवर्गीय अस्थाई पद वेतनमान रू०-67,000-वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से-79,000 में सृजित किया गया था, जिसकी निरन्तरता कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-02-2017 द्वारा दिनांक 31-08-2017 तक बढ़ाई गयी थी। उक्त पद की आवश्यकता वर्तमान में भी बनी हुई है। अतः कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-10-2015 द्वारा सृजित विशेष कार्याधिकारी के 01 निःसंवर्गीय पद की निरन्तरता दिनांक 01-09-2017 से 31-12-2017 तक बढ़ाये जाने एवं उक्त पद पर श्री जय प्रकाश सिंह, से०नि०, पी०सी०एस० को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.10.2015 में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त पद दिनांक 01.09.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के लिए तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03 सचिवालय के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-644/दस-2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र०शासन।
4. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ०प्र० शासन।
6. संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उ०प्र०शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ।
9. नियुक्ति विभाग के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/12 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
11. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7/8/9 (विविध)
12. सम्बन्धित अधिकारी।
13. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।